



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राक्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/आषाढ 23, 1937

No. 508]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SRAVANA 23, 1937

खान मंत्रालय

बंधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सा.का.नि.833(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की शारा 9ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक न्यास जिसे शासकीय निकाय और कार्यकारी समिति के साथ राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास कहा जाएगा, की स्थापना करती है।

(1) शासकीय निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क)	खान मंत्रालय का भार साधक संघ मंत्री;	अध्यक्ष, पदेन
(ख)	कोयला मंत्रालय का भार साधक संघ मंत्री या उसका नामनिर्देशिती;	सदस्य, पदेन
(ग)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का भार साधक संघ मंत्री या उसका नामनिर्देशिती;	सदस्य, पदेन
(घ)	परमाणु ऊर्जा के लिए राज्य मंत्री या उसका नामनिर्देशिती;	सदस्य, पदेन
(ङ)	खान के लिए राज्य मंत्री;	सदस्य, पदेन
(च)	खान और शूबिज्ञान का भारसाधन रखने वाले राज्य सरकारों के छह मंत्री, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम आधार पर पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्रता के साथ, दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;	सदस्य, पदेन

(छ)	सचिव, खान मंत्रालय;	संयोजक, पदेन
(ज)	विशेष आमंत्रित, जो सुसंगत क्षेत्र से अनुभव रखते हों, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासकीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे;	
(2) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-		
(क)	सचिव, खान मंत्रालय	अध्यक्ष, पदेन
(ख)	संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग	सदस्य, पदेन
(ग)	संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी, कोयला मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(घ)	संयुक्त सचिव से अन्यून श्रेणी का एक अधिकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(ङ)	संयुक्त सचिव और दिसीय साकाहार, छात्र या कोयला मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(च)	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
(छ)	महानियंत्रक, भारतीय खान व्यूरो या केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिनिधि	संयोजक, पदेन
(ज)	केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनियमित किन्हीं चार राज्य सरकारों में से एक प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार के सचिव या समतुल्य की श्रेणी से नीचे का न हो, चक्रानुक्रम आधार पर पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्रता के साथ, दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए;	सदस्य, पदेन
(झ)	संयुक्त सचिव, खोज का भारसाधक, खान मंत्रालय	सदस्य सचिव, पदेन
(ञ)	राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट, ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास संबंधित खोज या अनुसंधान का दो वर्षों की अवधि का अनुभव हो, में से पांच व्यक्ति।	

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 11/8/2015-एम.आई.]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2015

G.S.R.633(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 9C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby establishes a Trust to be called as the National Mineral Exploration Trust with a Governing Body and an Executive Committee.

(1) The Governing Body shall consist of the following members, namely:-

- (a) Union Minister In-charge of Ministry of Mines
- (b) Union Minister In-charge of Ministry of Coal or his nominee

—Chairperson, *ex officio*;
—Member, *ex officio*;

(c) Union Minister In-charge of Ministry of Petroleum and Natural Gas or his nominee —Member, *ex officio*;

(d) Minister of State for Atomic Energy or his nominee —Member, *ex officio*;

(e) Minister of State for Mines —Member, *ex officio*;

(f) Six Ministers of State Governments, holding charge of Mines and Geology to be nominated by the Chairperson of the Governing Body of the National Mineral Exploration Trust, on rotation basis, for a term not exceeding two years at a time with the eligibility for re-nomination —Members, *ex officio*;

(g) Secretary, Ministry of Mines —Convener, *ex officio*.

(h) Special invitees having experience in the relevant field to be invited by the Chairperson of the Governing Body of the National Mineral Exploration Trust.

(II) The Executive Committee shall consist of the following members, namely:-

(a) Secretary, Ministry of Mines —Chairperson, *ex officio*;

(b) an officer not below the rank of Joint Secretary, Department of Atomic Energy —Member, *ex officio*;

(c) an officer not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Coal —Member, *ex officio*;

(d) an officer not below the rank of Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas —Member, *ex officio*;

(e) Joint Secretary and Financial Advisor of Ministries of Mines or Coal —Member, *ex officio*;

(f) Director General of Geological Survey of India or any other representative to be nominated by the Central Government —Member, *ex officio*;

(g) Controller General of Indian Bureau of Mines or any other representative to be nominated by the Central Government —Member, *ex officio*;

(h) One representative from any four State Governments, as decided by the Central Government, not below the rank of Secretary to the State Government or equivalent, on rotation basis, for a term not exceeding two years at a time, with the eligibility for re-nomination —Members, *ex officio*;

(i) Joint Secretary, in-charge of Exploration, Ministry of Mines —Member Secretary, *ex officio*;

(j) five persons, from among persons with experience in exploration or in research in a related field at least for a period of two years, to be nominated by the Chairperson of the Executive Committee of the National Mineral Exploration Trust.

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.11/8/2015-M.I]

R.SRIDHARAN, Addl. Secy.